17 अक्तूबर 2006 को बोर्ड के कार्यालय, कोचिन में आयोजित स्पाइसेस बोर्ड की 58 वीं बैठक का कार्यवृत्त

स्पाइसेस बोर्ड की 58 वीं बैठक बोर्ड के कार्यालय, कोचिन में 17 अक्तूबर 2006 को दोपहर 2.30 बजे आयोजित की गई ।

श्री. वी.जे.कुरियन, अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड ने बैठक की अध्यक्षता की ।

निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

1. श्री.अनन्त कुमार हेगडे, सं.स. (लो.स)	सदस्य
2. श्री.मैथ्यू. सी.कुन्नुंकल , भा प्र से	"
3. श्री.जॉर्ज जोसफ, भा प्र से	"
4. श्री. राजीव धर	"
5. श्री. टी.अशोक कुमार	"
6. श्री. विश्वनाथ ओक्ते	"
7. श्री. एन.जहाँगीर	"
8. श्री. साजन कुरियन कलरिक्कल	"
9. श्री.डी.एम.कतिर आनन्द	"

श्री.वी.डी. आलम, निदेशक(वित्त), वाणिज्य मंत्रालय को अनुपस्थिति छुट्टी प्रदान की गई ।

निम्नलिखित सदस्य अनुपस्थित थे :

1. श्रीमती दग्गुबति पुरन्दरेश्वरी, सं.स
2. श्री. प्रशान्त गोयल
3. डॉ. एम.एल.चौधरी
4. डॉ. जी.एस.जी.अय्यंगार
5. डॉ. रेणु. एस.परमार
6. श्री.वी.प्रकाश
7. डॉ. वी.ए.पार्थसारथी

बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे :

1. श्री. वी.के.के.नायर, सचिव
2. श्री. एस.कण्णन, निदेशक(विपणन)
3. डॉ. जे.थॉमस, निदेशक (अनुसन्धान)
4. श्री.पी.टी.जोण, प्रभारी निदेशक (विकास)

सबसे पहले, अध्यक्ष महोदय ने पुनःगठित बोर्ड की पहली बैठक में सदस्यों का स्वागत किया ।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि बोर्ड मसाला-क्षेत्र, खासकर भारतीय मसालों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु मिर्च तथा मिर्च उत्पादों और हल्दी पाउडर में एफ्लाटोक्सिन संदूषण और प्रतिबंधित रासायनिक रंजकों द्वारा अपमिश्रण के निवारणार्थ एक नियंत्रण प्रणाली पेश करते हुए मसाला निर्यात क्षेत्र केलिए स्पाइसेस बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री.सी.जे.जोस भा.प्र.से. द्वारा प्रदान की गई सेवाओं, जिनसे देश की शान बढने के साथ साथ मसालों के निर्यात में भी वृद्धि आई है, केलिए तारीफ दर्ज करना चाहेंगा ।

उसके बाद कार्यवृत्त की मदों पर विचार किया गया ।

मद सं. 1: 29.06.2005 को संपन्न बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टीकरण

इसका पुष्टीकरण किया गया ।

मद सं. 2: 29.06.2005 को संपन्न बोर्ड की बैठक के निर्णयों पर की गई कार्रवाई संबन्धी नोट

यह सूचित किया गया कि शुष्कन उपकरणों में ईंधन बतौर डीज़ल का इस्तेमाल किया जा रहा है और डीज़ल का दाम बढ रहा है । श्री. अशोक कुमार ने इसके बदले लकडी का इस्तेमाल करने का सुझाव किया । लेकिन, यह भी नोट किया गया कि लकडी के इस्तेमाल की अनुमति न दी जाए, चूँकि यह जंगलों का नाश करेगा ।

जैविक फार्म प्रमाणन के बारे में यह सूचित किया गया कि इस योजना के अनुसार सहायता पाने का मौका पाँच साल की एक योजना - अवधि में दो बार करके सीमित किया गया है । जैव-खेती में प्रमाणन हर साल अपेक्षित है । अतः योजना को अधिक लोकप्रिय बनाने केलिए हर साल यह सहायता प्रदान करने लायक रूप में इसका संशोधन किया गया । अधिकाधिक लोगों को इस योजना से लाभ उठाने की ओर आकर्षित करने केलिए योजना की निर्यात-बाध्यता का प्रावधान भी हटा दिया गया ।

मद सं. 3: उपाध्यक्ष का चुनाव

श्री. साजन कुरियन को बोर्ड का उपाध्यक्ष चुन लिया गया । उन्होंने उपाध्यक्ष के रूप में उन्हें चुनने में सदस्यों से आभार व्यक्त किया ।

मद सं. 4 : समितियों के सदस्यों का चुनाव

यह सूचित किया गया कि पिछले कुछ समय के लिए समितियाँ सही ढंग से काम नहीं कर रही थीं । उप समितियाँ विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा करने की स्थिति में हैं और इसलिए उप समितियों की बैठकें समय-समय पर आयोजित की जा सकती हैं । इसके बाद बोर्ड ने नियमों में बताए अनुसार सदस्यों का नामाँकन करके समितियों के गठन पर विचार किया और समितियाँ निम्नानुसार गठित की गई :

1. कार्यकारी समिति

क) बोर्ड का अध्यक्ष - समिति का पदेन अध्यक्ष
ख) उपाध्यक्ष
ग) श्री.जॉर्ज जोसफ - प्रमुख मसाला उत्पादक राज्य का प्रतिनिधि सदस्य
घ) निदेशक (वित्त), वाणिज्य मंत्रालय
ड.) सचिव, स्पाइसेस बोर्ड
च) श्री.विश्वनाथ ओक्ते - मसाले कृषकों का प्रतिनिधि सदस्य
छ) श्री.डी.एम. कतिर आनन्द - मसाले निर्यातकों का प्रतिनिधि सदस्य

2. अनुसन्धान व विकास समिति

क) बोर्ड का अध्यक्ष - समिति का पदेन अध्यक्ष
ख) उपाध्यक्ष
ग) श्री. मैथ्यू कुन्नुंक्कल - प्रमुख मसाला उत्पादक राज्य का प्रतिनिधि सदस्य
घ) उद्यान विज्ञान आयुक्त
ड.) श्री. अशोक कुमार - एलटेरिया कार्डमम् मैटन कृषकों का प्रतिनिधि सदस्य
च) निदेशक, भारतीय मसाले फसल अनुसन्धान संस्थान, कालिकट
छ) निदेशक (अनुसन्धान), स्पाइसेस बोर्ड
ज) निदेशक (विकास), स्पाइसेस बोर्ड
झ) श्री.डी.एम.कतिर आनन्द - मसाले निर्यातकों का प्रतिनिधि सदस्य

बोर्ड में बडी इलायची (एमोमम् सुबुलाटम रोक्सब) का कोई प्रतिनिधि - सदस्य नहीं है और इसलिए समिति में इस हैसियत के एक बोर्ड सदस्य का पद खाली रहेगा ।

3. <u>विपणि विकास समिति</u>

क) बोर्ड का अध्यक्ष - समिति का पदेन अध्यक्ष
ख) उपाध्यक्ष
ग) निदेशक - केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर
घ) उप सचिव, निर्यात संवर्द्धन (कृषि प्रभाग) , वाणिज्य विभाग, वाणिज्य मंत्रालय
ड.) श्री. डी.एम.कतिर आनन्द - मसाले निर्यातकों का प्रतिनिधि सदस्य
च) भारतीय निर्यात निरीक्षण अभिकरण का एक अधिकारी
छ) निदेशक (विपणन), स्पाइसेस बोर्ड
ज) श्री. एन. जहाँगीर - मसाला कृषकों का प्रतिनिधि सदस्य

चूँकि बोर्ड में केवल एक ही निर्यातक सदस्य है, निर्यातक प्रतिनिधियों के अन्य दो पद खाली रहेंगे ।

मद सं. 5 : <u>1.4.2005 से 31.3.2006 तक की अवधि केलिए बोर्ड का अन्तिम लेखा</u>

एक सवाल किए जाने पर, अध्यक्ष महोदय ने यह बताया कि महालेखाकार (लेखा परीक्षा), केरल द्वारा लेखा परीक्षा की जाती है और बोर्ड द्वारा अनुमोदन के पश्चात् इसे प्रमाणन हेतु महालेखाकार को भेज देना पडता है ।
यह स्पष्ट किया गया कि आई ई बी आर में वृद्धि मुख्यतः गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में नमूनों के विश्लेषण से प्राप्त आय की वृद्धि के कारण हुई है ।

रोकड-शेष को बैंक में उपलब्ध सी & टी डी खाता योजना में जमा करने का सुझाव था । अध्यक्ष महोदय ने जवाब दिया कि इसका फायदा ज़रूर उठाया जा सकता है ।

बोर्ड ने वर्ष 2005-06 के अन्तिम लेखे का अनुमोदन किया ।

मद सं. 6: <u>वर्ष 2005-06 केलिए बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट</u>
वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया ।

मद सं. 7 : <u>पॉलिथीन शीटों का वितरण - 2005-06</u>
2005-06 के दौरान अमल किए गए कार्यक्रमों पर चर्चा की गई । यह सूचित किया गया कि बोर्ड कृषकों की ज़रूरतों की पूर्ति करने में कामयाब रहा है ।

बोर्ड ने विवरण नोट किया ।

मद सं. 8 <u>बोर्ड की गुणवत्ता प्रमाणन योजना के तहत आई एस ओ प्रमाणन प्राप्त करने केलिए सहायता</u>

इस मामले पर चर्चा की गई और बोर्ड ने योजना में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया ।

सहायता 33% से 50% करके बढाने का सुझाव था । यह बदलाव XI योजनावधि के दौरान लिए जाने से सहमत हुए ।

मद सं. 9 : <u>कृषि - उत्पाद मण्डी समिति (ए पी एस सी), मन्दसौर, मध्यप्रदेश को बीज मसालों के प्रसंस्करण केलिए (सफाई, ग्रेडिंग, शुष्कन एवं गुणवत्ता आश्वासन) एक सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना केलिए सहायता</u>

यह सूचित किया गया कि यह बीज - मसालों के प्रसंस्करण (सफाई, ग्रेडिंग,शुष्कन आदि) से जुडा एक कार्यक्रम है, जो मसाले निर्यातों का एक प्रमुख खण्ड है । मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भी अपना समर्थन इसे दिया जाना चाहिए ।

इसे शुरुआत के तौर पर एक अग्रगामी परियोजना के रूप में लिए जाने का प्रस्ताव है । यदि यह सफल निकला तो, बोर्ड देश की अन्य सीमान्त विपणियों को ऐसी सहायता प्रदान करेगा ।

बोर्ड ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया और कृत कार्रवाई का अनुसमर्थन किया ।

मद सं. 10: <u>वर्ष 2006-07 केलिए मसालों के गुणवत्ता-सुधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम</u>

इडुक्की एवं वयनाडु जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम केलिए ज्यादा ज़ोर देने के सुझाव पर यह सूचित किया गया कि वहाँ पर हम काफी कार्यक्रम चला रहे थे । अध्यक्ष महोदय ने सुझाया कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या एवं जहाँ इनका आयोजन किया जाना है, इसके बारे में राय लेने केलिए राज्य कृषि विभाग से परामर्श लिया जा सकता है ।

यह सुझाव किया गया कि इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में पर्याप्त प्रचार - प्रसार किया जाना चाहिए । विवरण पुस्तिकाएं एवं प्रचार - सामग्रियाँ उपलब्ध करानी चाहिए । अध्यक्ष महोदय ने सुझाया कि संबंधित क्षेत्र-अधिकारी को संबंधित कृषि अधिकारी से मिलना चाहिए और सभी संबंधितों को प्रचार सामग्रियां जारी करने को कहा जा सकता है । उस क्षेत्र के बोर्ड के सदस्यों को भी निमन्त्रित किया जाना चाहिए जहाँ प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है ।

मद सं. 11 : <u>जैव फार्म प्रमाणन योजना - पात्रता प्रतिमान में संशोधन</u>

इस योजना में जो संशोधन किया जाना है , उसके मूलाधार पर विस्तार से बताया गया । श्री. हेगडे ने पूछा कि क्या इस योजना केलिए ग्रूपों / कृषकों की संख्या केलिए परिसीमा या कोई वित्तीय प्रतिबंध है ? उन्होंने यह जानना चाहा कि क्या बोर्ड कैनरा के 135 कृषक संघों को सहायता उपलब्ध कर सकता है ? अध्यक्ष महोदय ने इसका स्वीकारात्मक जवाब दिया और निदेशक (विकास) से श्री. हेगडे से ब्यौरा संगृहीत करने को कहा ।

यह भी सुझाया गया कि नए लाभग्राहियों को सहायता दी जानी चाहिए और प्रावधान को इसके अनुकूल बदलना चाहिए । नए कृषकों को ज्यादा महत्व देना चाहिए, जो कार्यक्रम का फैलाव सुनिश्चित करेगा ।

बोर्ड ने योजना में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया ।

मद सं. 12 : <u>उत्तर पूर्वी राज्यों में जैव प्रमाणन</u>

बोर्ड ने इस योजना में प्रस्तावित परिवर्तन का अनुमोदन किया ।

मद सं. 13: <u>छोटी इलायची उत्पादकता पुरस्कार - 2005-06</u>

श्री. अशोक कुमार ने बोर्ड द्वारा अपनाए चयन प्रतिमानों के बारे में कुछ संदेह उठाए । उन्होंने बताया कि अक्सर उत्पादकता पुरस्कार केलिए विचार किया जानेवाला खेती - क्षेत्र बहुत कम है । यह पुरस्कार के लक्ष्य के खिलाफ रह जाता है । उन्होंने सुझाया कि विजेता को कम से कम तीन लगातार सालों केलिए उत्पादकता में बढोत्तरी साबित करनी होगी । अध्यक्ष महोदय ने सुझाया कि हम वर्तमान प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे और अनुसंधान व विकास समिति इसकी जाँच करके नए प्रतिमान प्रस्तुत करेगी ।

बोर्ड ने पुरस्कार विजेताओं को नोट किया ।

मद सं. 14 : <u>वैनिला उत्पादकता पुरस्कार - 2005-06</u>

बोर्ड ने पुरस्कार विजेताओं को नोट किया ।

मद सं. 15 : <u>जैव वैनिला पुरस्कार - 2005-06</u>

यह सूचित किया गया कि प्रथम और द्वितीय पुरस्कार के बीच 100 कि.ग्रा का फरक है । अध्यक्ष महोदय ने सुझाया कि इसकी जाँच की जाए ।

मद सं. 16 : <u>बडी इलायची उत्पादकता पुरस्कार - 2005-06</u>

बोर्ड ने पुरस्कार विजेता को नोट किया ।

मद सं. 17 : <u>स्पाइसेस बोर्ड में निदेशक(वित्त) एवं निदेशक (विकास) के पदों को भरने की स्थिति</u>

अध्यक्ष महोदय ने सूचना दी कि लंबी अवधि से दो वरिष्ठ स्तरीय पद खाली पडे हैं । स्पाइसेस बोर्ड इन पदों को भरने केलिए सरकार को लिखता आ रहा है । इन पदों को भरने का तरीका सीधी भर्ती है । लेकिन अभी तक सरकार द्वारा भर्ती नियमों का अनुमोदन नहीं किया गया है । श्री. जोर्ज जोसफ ने सुझाया कि वरिष्ठतम उप निदेशक, जिन्हें विकास विभाग एवं खेती प्रथाओं में पर्याप्त अनुभव है, को निदेशक(विकास) के रूप में तदर्थ पदोन्नति दी जा सकती है । उसी प्रकार बजट/लेखे में पर्याप्त अनुभव वाले वरिष्ठतम उप निदेशक को निदेशक (वित्त) की तदर्थ पदोन्नति दी जा सकती है । भारत सरकार से अनुसमर्थन लिया जा सकता है । बोर्ड ने ऊपर के सुझावों से सहमति प्रकट की और आवश्यक कार्रवाई केलिए अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत किया ।

मद सं. 18: <u>ए डी आर पी के अधीन वर्तमान पदों पर भारत सरकार द्वारा स्टाफ संख्या में लादी गई कटौती</u>

स्टाफ संख्या पर मंत्रालय के ए एस व एफ ए एवं अध्यक्ष , स्पाइसेस बोर्ड के साथ संपन्न पुनरीक्षा के आधार पर पहले ही थोपी कटौती के अतिरिक्त वार्षिक सीधी भर्ती योजना की क्रियाविधि द्वारा इसमें उत्तरोत्तर कमी लाती जा रही है ।

यह सुझाया गया कि यदि ऐसी कमी बोर्ड के उचित प्रवर्तन में बाधा डालती है तो ठेके या प्रतिनियुक्ति पर अपेक्षित मानव शक्ति को बाहर से लिए जाने के बारे में विचार करना है । अध्यक्ष महोदय को ज़रूरी कार्रवाई केलिए प्राधिकृत किया गया ।

मद सं . 19 : <u>अनुसूचित जाति केलिए आरक्षित फार्म अधिकारी / फार्म मैनेजर पदों पर पदोन्नति केलिए अनुभव में ढील</u>

इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने सूचना दी कि सीधी भर्ती केलिए सरकार से मंजूरी अपेक्षित होने कारण हमें पर्याप्त तकनीकी अधिकारियों का अभाव है । यह सुझाया गया कि व्यवहार्य है तो आई सी ए आर से संपर्क किया जा सकता है और प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को मिलने की संभावना ढूंढ निकाली जा सकती है ।

मद सं. 20: <u>'इण्डियन रेसिप्पीस विथ इण्डियन स्पाइसेस : क्विक्कीस टु स्यूट माइक्रो ओवन कुक्किंग '-प्रकाशन</u>

बोर्ड ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।

मद सं. 21 : <u>मिर्च/मिर्च उत्पाद एवं हल्दी पाउडर - निर्यात परेषणों का गुणवत्ता आश्वासन - नमूनन तथा जाँच की स्थिति</u>

बोर्ड ने सूचित स्थिति नोट की ।

श्री. कतिर आनन्द ने इस संबंध में कुछ मुद्दे उठाए । उन्होंने पूछा कि क्या स्पाइसेस बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र मलेशिया जैसे देशों में हल्दी पाउडर का निर्यात करने केलिए ज़रूरी है, क्योंकि क्रेता देश इस पर कोई ज़ोर-जबरदस्ती नहीं करता है । उन्होंने यह सूचना दी कि क्रेता केलिए यह एक अनावश्यक पर्चा है । उन्होंने यह भी बताया कि निर्यातक को इस प्रमाणपत्र की प्राप्ति केलिए 2-3 दिन इन्तज़ार करना पडता है और इस वज़ह से पोतपरिवहन विलंबित होगा । निदेशक (विपणन) ने सूचित किया कि नमूनों की प्राप्ति के बाद, 24 घण्टों के अन्तर्गत स्पाइसेस बोर्ड निर्यातक को जाँच प्रमाणपत्र फैक्स करता आ रहा है । उन्होंने सूचित किया कि सभी गन्तव्य स्थानों को भारत से निर्यात केलिए विनिर्दिष्ट मसाले परेषणों को स्पाइसेस बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र के साथ भेजा जाना है चूँकि परेषणों को यूरोप/यू.एस की तरफ पलट देने की संभावनाएं होती हैं । भारतीय मसालों की विश्वसनीयता इससे बढ जाएगी ।

श्री.कतिर आनंद ने सुझाव किया कि अगर प्रमाणन अनिवार्य है तो चेन्नई, तूत्तुकुडी जैसे मुख्य निर्यात केन्द्रों में पर्याप्त कर्मचारियों सहित कार्यालय होने चाहिए । उन्होंने उन अधिकारियों की कठिनाइयों का जिक्र किया जो आधीरात को भी नमूने लेने जा रहे हैं । अध्यक्ष महोदय ने उन्हें सूचित किया कि स्पाइसेस बोर्ड चेन्नई में विश्लेषणत्मक प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बना रहा है , जिसमें कुछ वक्त लगेगा ।

मद सं. 22 : <u>कालीमिर्च तथा कालीमिर्च के मूल्य-योजित उत्पाद के निर्यात केलिए डब्ल्यू.टी.ओ संगत इमदाद योजना</u>

बोर्ड ने इस योजना पर चर्चा की और वर्तमान स्थिति नोट की ।

इमदाद में वृद्धि लाने का सुझाव था । उपाध्यक्ष ने कहा कि मौसम के बीच इमदाद मिलने से कोई फायदा नहीं है और मौसम के पहले ही इमदाद घोषित की जानी चाहिए । श्री. जॉर्ज जोसफ ने कहा कि इमदाद किसानों तक पहूँच जानी चाहिए । उन्होंने स्पष्ट किया कि इमदाद की घोषणा जब की जाती है तब जिन्सों का मूल्य घट जाता है तो विदेशी खरीददारों केलिए हितकर बनता है ।

मद सं . 23 : <u>बोर्ड की बागान श्रम कल्याण योजनाएँ वर्ष 2006-07 के दौरान याजनाओं को जारी रखना</u>

श्री. अशोक कुमार ने सुझाव किया कि अनुसंधान एवं विकास समिति को इसकी जाँच करनी चाहिए । अध्यक्ष महोदय इससे सहमत हुए और कहा कि भविष्य में यह कार्य किया जाएगा क्योंकि इस कार्य को बदलने केलिए इस साल पर्याप्त समय नहीं है ।

बोर्ड के सामने रखे गए इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

मद सं . 24 : <u>अप्रैल-मार्च 2004-05 की तुलना में अप्रैल-मार्च 2005-06 के दौरान मसालों के निर्यात निष्पादन की समीक्षा</u>

बोर्ड ने वर्ष 2005-06 के दौरान का निर्यात-निष्पादन नोट किया । चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने संकेत

किया कि हमारी वर्तमान प्रतियोगिता मिर्च और लहसुन में मुख्यतः चीन, इलायची के मामले में ग्वाटीमाला से और कालीमिर्च के मामले में वियतनाम के साथ है ।

भारतीय मिर्चों में एफ्लाटॉक्सिन प्रायः पाया जाता है और हम आई.टी.सी के सहयोग से पॉलीहाउस पर एक अग्रगामी परियोजना प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं । एफ्लाटोक्सिन स्तर को कम करने केलिए हम मिर्च के प्रसंस्करण और शुष्कन में आई. टी. सी और आन्ध्रप्रदेश सरकार से सहयोग करना चाहते हैं । गुंटूर में हम एक विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला स्थापित करने के बारे में सोच रहे हैं । एक सवाल के जवाब बतौर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि किसानों को इस समस्या के बारे में अवगत कराने के कदम उठाए जा रहे हैं ।

मद सं . 25 :<u>अप्रैल - अगस्त 2005 की तुलना में अप्रैल-अगस्त 2006 के दौरान मसालों के निर्यात निष्पादन की समीक्षा</u>

बोर्ड ने यह नोट किया ।

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि बोर्ड के अधिकारियों ने केरल सरकार के कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ कालीमिर्च के उत्पादन , पुनःरोपण आदि पर चर्चा की थी । तीव्र गुणन और ऊतक संवर्द्धन प्रणाली द्वारा निर्मोचित किस्मों की मूल लगाई कतरनों के भारी उत्पादन केलिए उपाय ढूंढने का निर्णय लिया गया ।

मद सं . 26 : <u>अप्रैल -मार्च 2004-05 की तुलना में अप्रैल-मार्च 2006 के दौरान भारत में मसालों का आयात</u>

बोर्ड ने यह नोट किया ।

बोर्ड को सूचित किया गया कि सरकार जल्दी ही श्रीलंका से कालीमिर्च आयात केलिए 2500 टन की उच्चतम सीमा तय करने जा रही है । मूल्य योजन केलिए आयात के मामलों में मूल्य-योजन का निम्नतम स्तर 15 % है और 120 दिनों के अन्दर पुनःनिर्यात करना चाहिए ।

मद सं . 27 : <u>अप्रैल-अगस्त 2005 की तुलना में अप्रैल-अगस्त 2006 के दौरान भारत में मसालों का अनुमानित आयात</u>

प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया ।

अध्यक्ष की सहमति से अन्य मद :

श्री. अशोक कुमार ने सरकार के द्वारा इडुक्की और वयनाडु के किसानों केलिए घोषित पैकेज का उल्लेख किया । श्री. मैथ्यू .सी.कुन्नुंकल ने स्पष्ट किया कि मुख्य मुद्दा ऋण के ऊपर ब्याज है । इडुक्की को इस पैकेज में शामिल नहीं किया गया है । अभी तक कोई रकम प्राप्त नहीं हुई है । इडुक्की और आलप्पुषा को भी शामिल करने का प्रयास ज़ारी है ।

बैठक सायं 4.30 बजे अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए समाप्त हुई ।

.....